रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2015/भाद्र 24, 1937
No. 1958] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2015/BHADRA 24, 1937

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2015

का.आ. 2496(अ).— विध्वंसक कीट व नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का 2) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में संशोधन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ – (1) इस आदेश को पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2015 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची 1 में "विमानपत्तन" शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 16 के पश्चात् उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या व प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"17. इन्दौर (मध्य प्रदेश)"

18. गोवा"।

3. पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची II में क्रम संख्या 64 के पश्चात् एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित कॉलम में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा :—

65. धन्नड इंदौर	मध्य प्रदेश	इनलैंड कन्टेनर स्टेशन	पौध संगरोध सैल, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, इंदौर
66. खेडा, धार	मध्य प्रदेश	इनलैंड कन्टेनर स्टेशन	पौध संगरोध सैल, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, इंदौर

67. पीतमपीर, धार	मध्य प्रदेश	इनलैंड कन्टेनर स्टेशन	पौध संगरोध सैल, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, इंदौर
68. रतलाम	मध्य प्रदेश	इनलैंड कन्टेनर स्टेशन	पौध संगरोध सैल, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, इंदौर
69. मन्दीदीप रायसेन	मध्य प्रदेश	इनलैंड कन्टेनर स्टेशन	पौध संगरोध सैल, केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्र, इंदौर

4. अनुसूची VI का संशोधन – पौध संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 की अनुसूची VI में –

(i) कॉलम (3) में एक्टीनिडिया चाइनेनसीस एवं ए. डैलीकिओसा (कीवी) से संबंधित क्रम संख्या 7 के सम्मुख, कॉलम 4 में 'खपत हेतु फसल' से संबंधित प्रविष्टियों के सम्मुख, निम्नलिखित प्रविष्टियों को शामिल किया जाएगा नामत् :—

मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष स्थिति
(4)	(5)	(6)
"(vii) ग्रीस	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एसपीडीओटस नैरी (ओक्यूबा स्केल) (ख) बोटरियोसफारिया डोथिडिया (बादाम का केनकर) (ग) सेराटिटिज कैपीटाटा (मेडिटेरियन फ्रूट फ्लाई) (घ) लोबेसिया बोट्राना (ग्रेप बेरी मोथ) (ङ) फाइटोफ्थोरा क्रिप्टोजिया (टमाटो फुट रूट) (च) सेयोडामानेस वीरीडीफ्लेवा (टमाटर का लिफ लाईट (यूएसए)।	13 दिनों के लिए 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर प्रीशिपमेंट शीत उपचार; 14 दिनों के लिए 0.55 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर; 18 दिनों के लिए 1.1 डिग्री सेल्सियस और अंतरण में रैफरिजरेशन या 21 डिग्री सेल्सियस या उसके समान पर 3 ½ घंटे के लिए 32 ग्राम प्रति मी. की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन। उपचार के लिए मूल देश/पुन: आयात पर जारी की गई पादप स्वच्छता पर संलग्न की जानी चाहिये।

(ii) कॉलम (3) में फोनिक्स डेक्टीलिफ्रा (डेटपाम) से संबंधित क्रम संख्या 251 के सम्मुख क्रम संख्या (I) से संबंधित मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

पौध सामग्रियों की श्रेणी
(3)
"(i) पौधरोपण के लिए संकर/पौध

(iii) कॉलम संख्या (3) में वैक्सिनियम कोरीमबोसम (ब्लूबैरिज) से संबंधित क्रम संख्या 431 के सम्मुख, कॉलम (4),(5) और (6) से संबंधित प्रविष्टियों तथा मद संख्या (i) के पश्चात् ''खपत के लिए ताजा फल'' प्रविष्टी के सम्मुख: निम्नलिखित मद व प्रविष्टियां शामिल की जाएंगी अर्थात् :—

मूल देश	पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त घोषणा	आयात की विशेष स्थिति
(4)	(5)	(6)
"(ii) आस्ट्रेलिया	निम्नलिखित से मुक्त: (क) एसपीडीओटस नैरी (ओक्यूबा स्केल)	(i) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बैक्ट्रोसेरा ट्रियोनी (क्यूंसलैंड फ्रूटफ्लाई) के लिए कीट

IndiaCode

	(ख) बोटरोसेरा ट्रियोनी (क्वीन्सलैंड फ्रूटफ्लाई) (ग) जिगनारडिया वैक्सिनी (बेरीस्पेकल) (घ) सेयोडामानेस वीरीडीफ्लेवा (टमाटर का लिफ लाईट (यूएसए)।	मुक्त क्षेत्र स्थिति (ii) एनएपी के अंतर्गत 21 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पर 2 घंटे के लिए 32 जी/एम की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन, या एनएपी के अंतर्गत 15 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक पर 3½ घंटे के लिए 32 जी/एम की दर पर मिथाइल ब्रोमाइड धूमन, या क्वीन्सलैंड फ्रूटफलाई के सम्मुख उसके समान या (iii) 13 दिनों के लिए या इससे अधिक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर प्रीशिपमेंट शीत उपचार; 14 दिन या इससे अधिक के लिए 0.55 डिग्री सिल्सियस या इससे कम पर; 18 दिन या इससे अधिक के लिए 1.1 डिग्री सेल्सियस और अंतरण में रैफरिजरेशन या 13 दिनों के लिए या इससे अधिक के लिए 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम पर प्रीशिपमेंट शीत उपचार; 14 दिन या इससे अधिक के लिए 0.55 डिग्री सिल्सियस या इससे कम पर; 18 दिन या इससे अधिक के लिए 1.1 डिग्री सेल्सियस और क्वीन्सलैंड फ्रूटफलाई के सम्मुख उपचार के लिए मूल देश/पुनः आयात पर जारी की गई पादप स्वच्छता पर संलग्न की जानी चाहिये।

IndiaCode

[फा. सं. 8-57/2011-पीपी. II (खण्ड-IV)]

उत्पल कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

नोट : पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 को दिनांक 18 नवम्बर, 2003 को संख्या का.आ. 1322(अ), द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा बाद में 06 फरवरी, 2004 के का.आ. 167(अ), 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427(अ), 31 मई, 2004 के का.आ. 644(अ), 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263(अ), 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462(अ), 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121(अ), 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353(अ), 31 अक्तूबर, 2006 के का.आ. 1873(अ), 06 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074(अ), 03 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069(अ), 31 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 3(अ), 08 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847(अ), 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ), 09 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286(अ), 16 सितम्बर, 2009 के

का.आ. 2390(अ), 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269(अ), दिसम्बर, 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298(अ), 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907(अ), 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095(अ), 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284(अ), 11 अक्तूबर, 2010 के का.आ. 2516(अ), 04 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711(अ), 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052(अ), 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887(अ), 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845(अ), 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296(अ), 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775(अ), 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799(अ), 28 मई, 2013 के का.आ. 1378(अ), 14 जून, 2013 के का.आ. 1531(अ), 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919(अ), (एवं 13 जून, 2014 के का.आ. 1508(अ) तथा 27 जून, 2014 के का.आ. सं. 1632(अ), 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2320(अ), 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2542(अ), 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. सं. 2879(अ), 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. सं. 3114(अ), तथा 26 मई, 2015 के का.आ. सं. 1413(अ), के माध्यम से संशोधन किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2015

S.O. 2496(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Second Amendment) Order, 2015.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I of Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, under the heading "Airports", after serial number 16, and the entry relating thereto the following serial numbers and entries shall be added, namely :-

"17. Indore (Madhya Pradesh)

18. Goa ".

3. In the Plant Quarantine (Regulation of import into India) Order, 2003 in Schedule II after serial number 64 and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be added in the respective columns:-

"65 Dhannad, Indore	Madhya Pradesh	Inland Container Depot	Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Indore
66. Kheda, Dhar	Madhya Pradesh	Inland Container Depot	Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Indore
67. Pitampir, Dhar	Madhya Pradesh	Inland Container Depot	Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Indore
68. Ratlam	Madhya Pradesh	Inland Container Depot	Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Indore
69. Mandideep, Raisen	Madhya Pradesh	Inland Container Depot	Plant Quarantine Cell, Central Integrated Pest Management Centre, Indore."

4. Amendment of Schedule VI.- In the Schedule VI to the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003,-

(i) Against serial number 7 relating to Actinidia chinensis and A. Deliciosa (Kiwi) in column (3) against the entries regarding 'Fruits for consumption', after serial no. (vi) in column (4) the following entries shall be inserted, namely:-

IndiaCode

Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(4)	(5)	(6)
"(vii) Greece	Free from: (a) Aspidiotus nerii (aucuba scale) (b) Botryosphaeria dothidea (canker of almond) (c) Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly) (d) Lobesia botrana (grape berry moth) (e) Phytophthora cryptogea (tomato foot rot) (f) *Pseudomonas viridiflava* (bacterial leaf blight of tomato(USA))	Pre shipment cold treatment at 0^oC or below for 13 days; 0.55^oC or below for 14 days; 1.1^oC or below for 18 days and in-transit refrigeration or Methyl Bromide fumigation @ 32 g/m^3 for $3^{1/2}$ hrs at 21^0C or equivalent thereof The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/ re-export."

(ii) Against serial number 251 relating to *Phoenix dactylifera* (Date Palm) in column (3) the existing entries relating to (i) shall be substituted by the following, namely:-

Category of plant material
(3)
"(i) Suckers/Plants for planting"

(iii) Against serial number 431, relating to *Vaccinium corymbosum* (Blueberry) in column (3) against entry 'Fresh fruits for consumption, after item (i) and entries relating thereto in columns (4),(5) and (6), the following item and entries relating thereto shall respectively be inserted, namely:

Country of origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary certificate	Special conditions of import
(4)	(5)	(6)
"(ii) Australia	Free from: a) Aspidiotus nerii (Aucuba scale) b) Bactrocera tryoni (Queensland fruit fly) c) Guignardia vaccinii (Berry speckle) d) Pseudomonas viridiflava (Bacterial leaf blight of tomato(USA)	(i) Pest free area status for *Bactrocera tryoni* (Queensland fruit fly) as per international standards; or (ii) Methyl Bromide fumigation @ 32 g/m^3 for 2 hrs at 21^0C or above under NAP; or methyl bromide fumigation @ 32 g/m^3 for $3^{1/2}$ hrs at 15^0C or above under NAP; or equivalent thereof against Queensland fruit fly or (iii) Pre shipment cold treatment at 0^oC or below for 13 days or greater; 0.55^oC or below for 14 days or greater; 1.1^oC or below for 18 days or greater followed by in-transit refrigeration or In-transit cold treatment at 0^oC or below for 13 days or greater; 0.55^oC or below for 14 days or greater; 1.1^oC or below for 18 days or greater against Queensland fruit fly. The treatment should be endorsed on Phytosanitary Certificate issued at the country of origin/ re-export."

[F. No. 8-57/2011-PP.II (Vol.IV)]

UTPAL KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322(E), dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462(E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353(E), dated 31st July 2006, S.O. 1873(E), dated 31st October 2006, S.O. 2074(E), dated 6th December 2006, S.O. 2069(E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847(E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888(E), dated 15th

December, 2008, S.O. 2286(E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390(E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269(E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298(E), dated 24th December, 2009, S.O. 907(E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516(E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711(E), dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E), dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E), dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845(E) dated 21st December, 2011, S.O. No. 296(E) dated 17th February, 2012 and S.O. 2775(E), 23rd November, 2012 S.O.799(E), dated 21st March, 2013, S.O.1378(E), dated 28th May, 2013, S.O.1531(E), dated 14th June, 2013, S.O.2919(E), dated 26th September, 2013, S.O. 1508(E), dated 13th June, 2014 and S.O. No.1632(E), dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No. 2879(E), dated 11th November, 2014, S.O. No. 3114(E), dated 10th December, 2014 and S.O. No.1413(E), dated 26th May, 2015 .

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.